भूमि : अधिकार और अधिग्रहण के प्रश्न

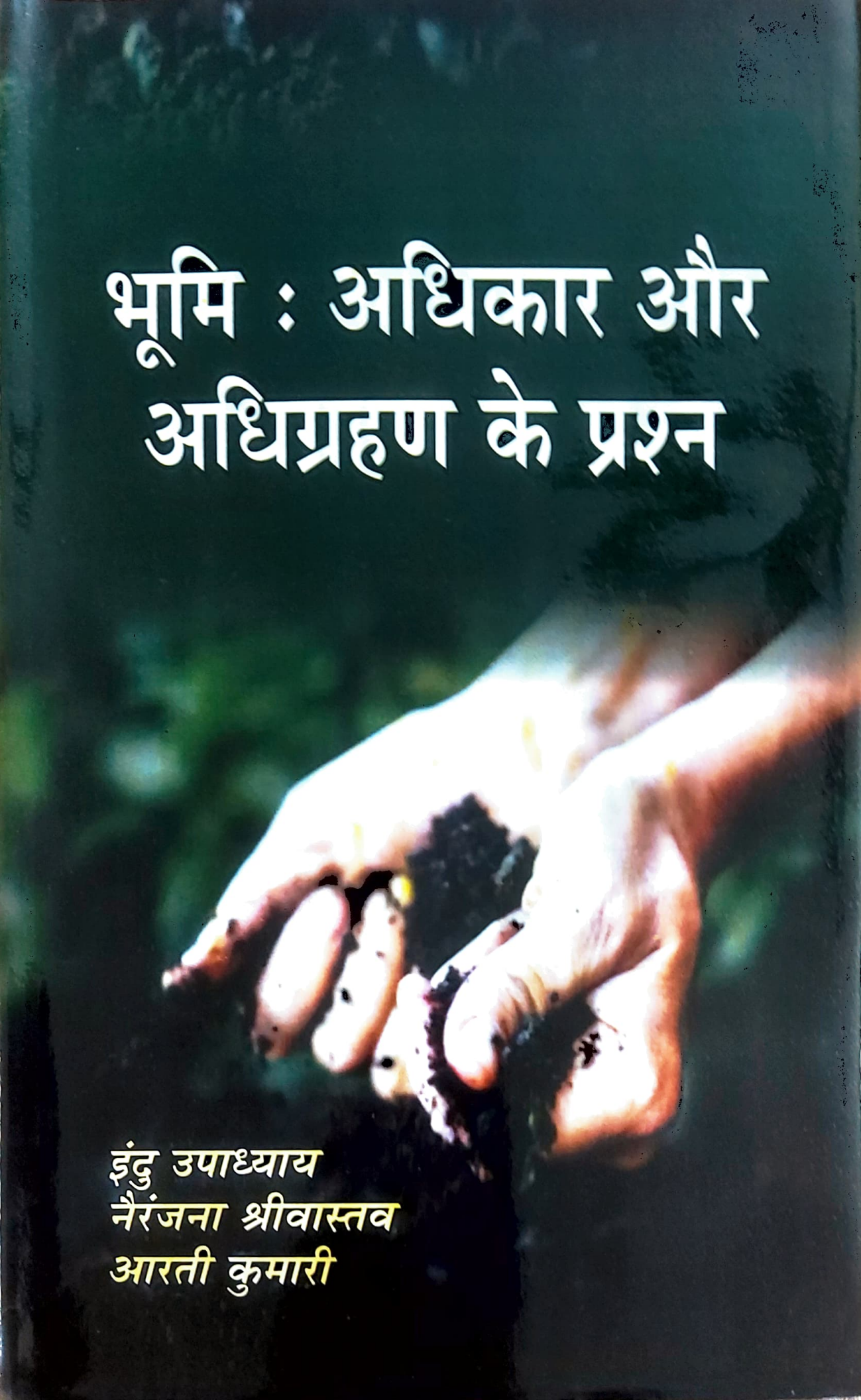

इंदु उपाध्याय
नैरंजना श्रीवास्तव
आरती कुमारी

भूमि : अधिकार और अधिग्रहण के प्रश्न

संयोजिका

प्रो० रचना श्रीवास्तव

प्राचार्या

बसन्त कन्या महाविद्यालय

कमच्छा, वाराणसी

संपादिका

इंदु उपाध्याय

वैजन्ता श्रीवास्तव

आरती कुमारी

2020

मनीष प्रकाशन

प्लाट नं0-26, पंडित नगर कालोनी,

बी0 एच0 यू0, वाराणसी-5

प्रकाशक :
मनीष प्रकाशन
प्लाट नं0-26, रोहित नगर कालोनी,
बी0 एच0 यू0, वाराणसी-5
दूरभाष : 0542-2310682
Email : manishprakashan9@gmail.com

संरक्षिका
प्रो० रचना श्रीवास्तव
प्राचार्या, व.क.म., कमच्छा, वाराणसी।

© सम्पादिका द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित
इंदु उपाध्याय
नैरंजना श्रीवास्तव
आरती कुमारी

प्रस्तुत पुस्तक में दिये गये सभी तथ्य लेखक के हैं, प्रकाशक का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। विवाद की स्थिति में लेखक स्वयं जिम्मेदार होगा।

ICSSR के आर्थिक अनुदान द्वारा सम्पन्न संगोष्ठी पर आधारित

प्रथम संस्करण : 2020
ISBN : 978-93-88007-49-8
मूल्य : 525. 00 रुपये

कम्प्यूटर अक्षर संरचना :
मनीष कम्प्यूटर मीडिया
प्लाट नं0-26, रोहित नगर कालोनी,
बी0 एच0 यू0, वाराणसी-5
दूरभाष : 0542-2310682

मुद्रक :
मनीष प्रिंटिंग प्रेस
साकेत नगर कालोनी, बी.एच.यू.,
वाराणसी -221005

विषयानुक्रमणिका

समर्पण	....	iii
संदेश	....	v
आभार	....	vii
प्राक्कथन	....	ix

खंड-1
इतिहास के दर्पण में भूस्वामित्व और अधिग्रहण

1.	गुप्तकालीन भूमिदान व्यवस्था : एक अध्ययन *कु0 रेखा*	....	19-27
2.	गहड़वाल राजवंश में भू- अनुदान : एक अभिलेखीय अध्ययन *डॉ0 आरती कुमारी*	....	28-41
3.	आर्थिक विकास एवं भूमि अधिग्रहण अधिनियम *डॉ0 अरबिन्द कुमार*	....	42-48
4.	ब्रिटिश भारत में भूमि अधिग्रहण : भारतीय रेलवे के विशेष संदर्भ में *डॉ0 शशिकेश*	....	49-62
5.	विकास एवं भूमि अधिग्रहण : भारत के सन्दर्भ में *डॉ0 पूनम पाण्डेय*	....	63-70
6.	महिला सशक्तीकरण में भूमि अधिग्रहण अधिनियम की भूमिका *डॉ0 प्रतिभा सिंह*	....	71-74

5

विकास एवं भूमि अधिग्रहण : भारत के सन्दर्भ में

*डॉ० पूनम पाण्डेय

भारत एक ऐसा देश है जहाँ 70% से अधिक जनसंख्या गाँवों में निवास करती है और जिनके उपार्जन का प्रमुख स्त्रोत कृषि है। किन्तु जब भी कोई सरकार राष्ट्र के विकास के लिए किसी निर्माण कार्य का प्रारुप तैयार करती है तो सर्वप्रथम उसे भूमि की आवश्यकता होती है।

भूमि अधिग्रहण को सरकार की एक ऐसी गतिविधि के रुप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा यह भूमि के स्वामियों से भूमि का अधिग्रहण करती है, ताकि किसी सार्वजनिक प्रयोजन या मुनाफे के आर्थिक उपक्रम के लिए इसका उपयोग किया जा सके। यह अधिग्रहण भू–स्वामियों को मुआवज़े के भुगतान या भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के भुगतान के अधीन होता है। आमतौर पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अनिवार्य प्रकार का नहीं होता है, ना ही भूमि के बंटवारे के अनिच्छुक स्वामी पर ध्यान दिए बिना ऐसा किया जाता है।

भारत में भूमि अधिग्रहण के औपचारिक इतिहास का प्रारम्भ अंग्रेजों के व्यापारिक हितों से जुड़ा हुआ था, जिसके लिए 1824 ई० में बंगाल रेग्यूलेशन । बना।[1] इसी अधिनियम के तहत भारत में रेलवे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया तथा पहली रेलवे लाइन 1852 ई० में बनकर तैयार हुई। 1850 ई० में 1824 ई० के बंगाल रेग्यूलेशन का संशोधन कर 1850 का अधिनियम । आया जिसके द्वारा भूमि अधिग्रहण के कम्पनी के अधिकार का विस्तार कलकत्ता शहर तक विस्तारित हो गया। 1857 के अधिनियम VI के द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम का विस्तार भारत में कम्पनी शासित सम्पूर्ण क्षेत्र में कर दिया गया। 1857 का यह अधिनियम 1870 के अधिनियम के रुप में संशोधित किया गया।

1870 में हुए भूमि अधिग्रहण संशोधन के अनुसार – "जमीन के अधिग्रहण का नोटिस एक बार अंग्रेज सरकार ने जारी कर दिया तो उस

* असोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, वसन्त कन्या महाविद्यालय, कमच्छा, वाराणसी ।

नोटिस को भारत के किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती और कोई भी अदालत इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकती थी". मतलब अंग्रेज सरकार की जो नीति है वो अंतिम रहेगी, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, कोई किसान अपनी जमीन छिनने की शिकायत किसी से नहीं कर सकता था और इसी संशोधन में ये भी हुआ कि जमीन का मुआवजा सरकार तय करेगी और ये संशोधन सारे राज्यों में लागू हुआ। आखिरी बार इसमें जो संशोधन हुआ वो 1894 में हुआ और वही संशोधित कानून देश की आजादी के 72 साल बाद तक चलता रहा। ऐसे अनेक स्थानीय और विशिष्ट कानून हैं जो अपने अधीन भूमि के अधिग्रहण का अधिकार प्रदान करते हैं किन्तु भूमि के अधिग्रहण से संबंधित मुख्य कानून 1894 ई० का भूमि अधिग्रहण कानून ही था जिसमें निम्न व्यवस्थायें थीं –

यह अधिनियम सरकार को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि के अधिग्रहण का अधिकार प्रदान करता था जैसे कि योजनाबद्ध विकास, शहर या ग्रामीण योजना के लिए प्रावधान, गरीबों या भूमिहीनों के लिए आवासीय प्रयोजन हेतु प्रावधान या किसी शिक्षा, आवास या स्वास्थ्य योजना के लिए सरकार को भूमि की आवश्यकता। सामान्य स्थितियों में उक्त कार्यों के लिए उपयुक्त मूल्य पर भूमि के अधिग्रहण में रुकावट आती है, जिससे लागत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस कानून को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए शहरी भूमि के पर्याप्त भण्डार के निर्माण हेतु लागू किया गया था, जैसे कि कम आय वाले आवास, सड़कों को चौड़ा बनाना, उद्यानों तथा अन्य सुविधाओं का विकास। इस भूमि को प्रारुपिक तौर पर सरकार द्वारा बाजार मूल्य के अनुसार भूमि के स्वामियों को मुआवज़े के भुगतान के माध्यम से अधिग्रहण किया जाता था।

लाखों क्रांतिकारियों का ये मानना था कि ये भूमि अधिग्रहण का कानून सबसे दमनकारी कानून है और अंग्रेजों के बाद इस कानून को समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन ये कानून आज आजादी के 72 साल बाद तक भी इस देश में चलता रहा और इस कानून के आधार पर किसानों से जमीन बाद में भी छीनी जाती रही। इसके आधार पर स्वतन्त्र भारत में भी हमारे किसानों को भूमिहीन किया जाता रहा है।

व्यवस्था ये है कि केंद्र की सरकार हो या राज्य की; नगरपालिका हो या जिला–प्रशासन हर अधिकरण को इस कानून के आधार पर किसी की जमीन को लेने का अधिकार है।

भारतीय रेल व्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है जिसके तहत अब तक 67,312 किलोमीटर के रास्ते पर 115,000 किलोमीटर लम्बाई का

रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है अर्थात् यदि पृथ्वी को इससे घेरा जाये तो लगभग डेढ़ गुना बार घेरा जा सकता है और लगभग 8,500 रेलवे स्टेशन खड़े हैं। इतने बडे रेल मंत्रालय की व्यवस्था के लिये काफी बड़े भू–भाग की आवश्यकता पड़ी होगी और जिस भू–भाग को अधिग्रहण के द्वारा ही प्राप्त किया गया है। यद्यपि लोगों के हित के लिए ये जमीन ली गयी है लेकिन आजादी के वाद 1947–48 में जो जमीन किसानों से ली गयी उसकी कीमत है एक रुपया बीघा, दो रुपये बीघा, ढाई रुपये बीघा, तीन रुपये बीघा, जो काफी कम है।

इसी तरह सरकार का एक दूसरा महत्वपूर्ण विभाग है भूतल परिवहन मंत्रालय जिसने भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों से जमीन ली है। ये भूतल परिवहन मंत्रालय सड़क और यातायात का काम देखती है। भारत में दो तरह की सड़कें हैं, एक नेशनल हाइवे और दूसरी स्टेट हाइवे। आजादी के वाद इस देश में 1,31,326 किलोमीटर के लगभग नेशनल हाइवे बनाया गया है और इस 1,31,326 किलोमीटर लम्बी सड़क के लिए किसानों से कई लाख एकड़ जमीन छीनी गयी। इस जमीन पर सड़क जो बनती है उस पर ठेकेदार किलोमीटर के हिसाब से पैसा वसूलते हैं, लेकिन जिन किसानों ने हजारों एकड़ जमीन अपनी दे दी है उन्हें उस कमाई में से एक पैसा भी नहीं दिया जाता।

ऐसे ही स्कूल, कॉलेज बनवाने के लिए सरकार द्वारा जमीनें ली गयी हैं। भारत में जनवरी 2019 तक 900 विश्वविद्यालय और लगभग 40 हजार डिग्री कॉलेज स्थापित किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 15 करोड़ स्कूल स्थापित हैं। इसके लिये भी कई लाख एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है जिस जमीन को किसानों ने शिक्षा के नाम पर केंद्र सरकार को अथवा राज्य सरकारों को दिया।

हमारे देश में चिकित्सालय भी किसानों की जमीन पर ही बनाये गए हैं। सरकार द्वारा 35416 सरकारी चिकित्सालय इस देश के लोगों के लिए तैयार किये गए हैं और इन चिकित्सालयों को बनाने के लिए भी कई एकड़ जमीन किसानों से ली गयी हैं। इन जमीनों पर जो चिकित्सालय खड़े हुए हैं उनको बनाने के समय सरकार का चिकित्सालय बनाने वालों से समझौता हुआ और उसमें ये लिखा गया कि गरीब किसानों के लिए इन चिकित्सालयों में निःशुल्क इलाज मिलेगा तभी उन्हें जमीन कम कीमत पर मिलेगी लेकिन कोई भी चिकित्सालय गरीब किसानों को निःशुल्क इलाज नहीं देता।

इसी तरह भारत सरकार के 57 मंत्रालय हैं। जिनके अतिरिक्त राज्य सरकारों के मंत्रालय और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के काम करने वाले विभाग हैं, तीनों स्तर पर लाखों एकड़ जमीन सरकार के द्वारा अब तक ली जा चुकी

है तथा कंपनियों के लिए भी कई लाख एकड़ जमीन ली जा चुकी है। और किसान वहीं गरीब के गरीब हैं।

बहुत ही दुःखद है कि जिन किसानों से ये जमीनें छिनी गयी उनको आजादी के 72 साल बाद तक भी एक रुपये का मुआवजा नहीं मिल पाया है। वो कहते हैं कि "हमारे पुरखे लड़ रहे थे अंग्रेजी सरकार से मुआवजे के लिए और मर गए और अब हम लड़ रहे हैं भारत सरकार से कि हमें उचित मुआवजा मिले, तो सकता है कि हम भी मारे जाएँ और हमारी आने वाली पीढ़ी देखिये कब तक लड़ती रहती है।"

अधिनियम की कमियाँ–

1. 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 17 (Urgency Clause) का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया गया क्योंकि प्रभावित पक्ष केवल धारा 5A के तहत अपना विरोध दाखिल कर सकता था। किन्तु विभिन्न राज्य सरकारों ने बहुत से कारण दिखाकर धारा 17(4) का दुरुपयोग करते हुए भूमि अधिग्रहण किया। इस धारा के तहत अधिग्रहण करने पर धारा 5A प्रभावी नहीं होती थी।

   इस प्रकार 1894 के अधिनियम में किसानों की भूमि रक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं था। यदि किसी राज्य सरकार ने भूमि के किसी टुकड़े के अधिग्रहण के लिए योजना बनायी तो प्रभावी व्यक्ति जन–सूचना के 30 दिन के भीतर धारा 5A के तहत कलेक्टर के यहाँ अपना विरोध दाखिल कर सकता था। ऐसे में कलेक्टर इस विरोध के आधार पर रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार से जवाब माँगता था। राज्य सरकार धारा 6 के तहत जनहित के लिए भूमि अधिग्रहण की अपनी मंशा व्यक्त कर आसानी से भूमि प्राप्त कर लेती थी। इसके पश्चात् पुनः इसका प्रतिरोध नहीं किया जा सकता था।
2. जिन किसानों की भूमि छीनी गयी उनके पुनर्वास तथा पुनः स्थापना का कोई प्रयास नहीं किया गया।
3. जिनकी भूमि छीनी गयी उन्हें नुकसान भरपाई के रूप में बहुत कम धन दिया गया अर्थात् बाजार भाव से काफी कम मूल्य पर भूमियाँ ली गयीं।

"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक–2013" :–
2013 ई० में भारतीय संसद ने भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक को अपनी मंजूरी देकर सन् 1894 के जबरन भूमि अधिग्रहण के विधेयक को बदलकर एक भयंकर अभिशाप से किसानों को मुक्ति दे दी है। विधेयक को पारित कराने में कमोवेश सभी राजनीतिक दलों ने महत्वपूर्ण

भूमिका निभाते हुए यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि वे गरीबों और किसानों के हितों के खिलाफ नहीं बल्कि उनके हितागती हैं। इस विधेयक के कानून बन जाने पर न केवल किसानों को सही मुआवजा मिलेगा बल्कि कृषि भूमि की लूट पर भी रोक लगेगी।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक–2013' के बारे में कहा गया है कि यह तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था और उन विविध सामाजिक संरचनाओं के बीच एक समझौता है जिन्हें संवेदनशीलता के साथ समझे जाने की जरूरत है। अब किसी भी भू–स्वामी (किसान) की इच्छा के विरुद्ध उसकी जमीन का जबरन अधिग्रहण करना बीते दिनों की बात हो जाएगी और अनुचित अधिग्रहण पर रोक लग जाएगी। हर राज्य में किसानों के अपने हक के लिए आन्दोलन हो रहे हैं। जिन पर इस कानून के लागू होने से विराम लग जाएगा क्योंकि इसमें लीज की व्यवस्था भी की गई है और लीज पर अधिग्रहण की शर्तें लागू नहीं होंगी। लीज की शर्तें निर्धारित करने का दायित्व राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है।

अधिनियम की विशेषतायें :–

1. आकर्षक मुआवजा राशि –

विधेयक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम चार गुना तथा शहरी क्षेत्रों में दुगुनी मुआवजा राशि का प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर राज्य सरकारें चाहें तो वे मुआवजे की दर में बढ़ोत्तरी कर सकती हैं। अभी तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में भूमि पर आजीविका गँवाने वालों को कोई लाभ नहीं मिलता था जबकि उनकी संख्या भूमि घटकों से अधिक होती है। इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि आजीविका गँवाने वालों के पुनर्वास एवं उनके पुनर्व्यवस्थापन की जब तक व्यवस्था नहीं की जाएगी उन्हें विस्थापित नहीं किया जा सकेगा। यह ऐसा पहला एकीकृत कानून है जिसमें भूमि अधिग्रहण के कारण आवश्यक पुनर्स्थापन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पाँच अध्याय और दो अनुसूचियों के अलावा भूमि के बदले भूमि, आवास की व्यवस्था और रोजगार का विकल्प के प्रावधान रखे गए हैं। यही नहीं भूमि घटकों के साथ अतीत में भू–अधिग्रहण के दौरान यदि कहीं भी कुछ अन्याय हुआ हो तो उसका भी निराकरण किया गया है। जहाँ भूमि अधिग्रहण अवार्ड नहीं दिया गया हो वहाँ मुआवजे/पुनर्स्थापन व पुनर्व्यवस्थापन के नये प्रावधान लागू होंगे। ऐसे मामलों में जहाँ पाँच वर्ष पूर्व भूमि अधिग्रहण किया गया था परन्तु मुआवजे का कोई भुगतान नहीं किया गया या भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है वहाँ

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया नवीन कानून के अनुसार नये सिरे से आरम्भ की जाएगी तथा नये प्रावधानों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

2. जनभागीदारी–

इसकी एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह रही कि भूमि अधिग्रहण की किसी भी प्रक्रिया को शुरू करने से पहले स्थानीय संस्थाओं की जन भागीदारी का प्रावधान रखा गया है। साथ ही पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन सम्बन्धी प्रावधानों के कियान्वयन की निगरानी हेतु केन्द्र, राज्य तथा जिला स्तर पर निगरानी कमेटी गठित की गयी।

आदिवासियों तथा अन्य कमजोर समूहों के हितों की सुरक्षा करने की दृष्टि से जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की सहमति के बिना भूमि अधिग्रहण नहीं हो सकेगा। नये कानून में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम, 1996 तथा वन अधिकार अधिनियम–2006 के प्रावधानों का भी पालन करें। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए नये कानून में विशेष व्यवस्थाएँ की गई हैं। यह उम्मीद की जा रही है कि नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में यह कानून महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल होगा।

3. भू–धारकों की सहमति–

सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) के लिए भूमि अधिग्रहण तथा निजी कम्पनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करने से पहले क्रमशः न्यूनतम 70 प्रतिशत और 80 प्रतिशत भू–धारकों की सहमति आवश्यक है। इसके बिना किसी भी तरह का अधिग्रहण नहीं किया जा सकेगा।

4. विस्थापितों के हितों की सुरक्षा–

नये कानून में यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक विस्थापित नहीं किया जाएगा जब तक उसे उसके सभी प्रकार के मुआवजों का पूरा भुगतान न हो जाए तथा पुनर्व्यवस्थापन स्थल पर वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध न हों।

5. कृषि भूमि अधिग्रहण की सीमा–

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुफसली तथा बुवाई योग्य कृषि भूमि के अधिग्रहण की अधिकतम सीमा तय कर दी गई है।

6. अप्रयुक्त भूमि की वापसी–

नये कानून में अधिग्रहण की गई उस भूमि को वापस करने का प्रावधान किया गया है जिसका प्रयोग नहीं किया गया हो।

7. आयकर और स्टाम्प शुल्क से छूट

यह पहला कानून है जिसमें भूमि अधिग्रहण से मिले मुआवजे पर भू स्वामी को आयकर तथा स्टाम्प शुल्क से छूट दी गई है।

8. पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन सम्बन्धी उपबन्ध

किसानों, भूमिहीनों तथा आजीविका गँवाने वालों के लिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन सुनिश्चित करने के लिए उपबन्ध बनाए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रावधान रखे गए हैं: पात्रता का सरल मानदण्ड, प्रभावित परिवारों में कृषि मजदूर, पट्टेदार, किसान बटाईदार सभी को सम्मिलित किया जाना, सभी प्रभावितों को आवास भरण-पोषण भत्ता, प्रशिक्षण व कौशल विकास, विभिन्न मौद्रिक लाभ, कारीगरों को एक मुश्त वित्तीय सहायता आदि।

नये कानून में अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण सुनिश्चित किए गए है। इन वंचित वर्गों के लिए व्यापक व्यवस्थाएँ करते हुए अलग अध्याय बनाया गया है। यह प्रयास किया जाएगा कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण न हो, लेकिन आवश्यक होने पर ग्राम सभा या स्वायत्त परिषद की सहमति लेनी होगी। इन वर्गों की भूमि अधिग्रहण किए जाने पर मुआवजे की एक-तिहाई धनराशि का स्थल पर ही भुगतान करना होगा। प्रभावित अनुसूचित वर्गों के लोगों को यथासम्भव उसी अनुसूचित क्षेत्र में ही पुनर्व्यवस्थापित करने के कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे उनकी सामुदायिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई पहचान बनी रह सके।

इस प्रकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम पहले की अपेक्षा काफी उदार है। किन्तु उसकी भी अपनी कमियाँ है। यही कारण है कि इसके बाद भी भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित कई संशोधन भारतीय संसद में लाये गये तथा निरन्तर लाये जा रहे हैं, किन्तु अभी तक उन्हे संसद से मंजूरी प्राप्त नही हो पायी है। निष्कर्षतः हम कह सकते है कि वर्तमान समय में प्रचलित 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में पूर्व की अपेक्षा भारतीय जनता के हितों का ज्यादा ध्यान रखने की कोशिश की गयी है।

सन्दर्भ-सूची

- Bhattacharya, Harasankar. *Aspects of Indian Economic History (1752-1950)* Chatterjee Publishers, Calcutta, 1945.
- Chauhan, D.S. *Studies in Utilization of Agricultural Land*. Shiva Lal Agrawala Publication, Agra, 1966.

- Danyal, K.Y. *"Land Acquisition is India Past and Present"*. Jamia Law Journal. Vol. I Published in Articles Section of.www.manupatra. com. docs.manupatra.in/newsline/articles/FFGD173D-E5C5-4954-A73A-dD77708DD9136pdf.
- Jayapalan, *N. Economic History of India (Ancient to Present Day).* Atlantic Publishers, New Delh, 2008, Second Edition.
- Ray Chaudhary. S.C. *Social, Cultural and Economic History of India.* Surjeet Publication, Delhi, 1987, Fourth Edition.
- Sinha, B.K. and Pushpendra, *Land Reforms in India in Unfinished Agenda.* vol-5, Sage Publication, New Delhi. 2000.

★

Promoting Sustainable Development through Higher Education : An Overview

Editor : Dr. Supriya Singh

Co-Editor : Dr. Kumud Ranjan

Promoting Sustainable Development through Higher Education: An Overview

Patron:

Prof. Rachna Srivastava

Principal

Vasant Kanya Mahavidyalaya

Editor

Dr. Supriya Singh

Assistant Professor

Vasant Kanya Mahavidyalaya

Co-editor

Dr. Kumud Ranjan

Former Associate Professor

Vasant Kanya Mahavidyalaya

2021

Kala Prakashan

B. 33/33 A-1, New Saket Colony,

B.H.U. Varanasi-5

11. **Need of Reading Literature in Higher Education** 121-124
Dr. Purnima

12. **Skill Development through Experiential Learning: Concept and Implementation in Education System** 125-134
Dr. Jai Singh

13. **Significance of Traditional Knowledge and Indigenous Pedagogy in Higher Education: A Step towards Sustainability** 135-140
Dr.Sunita Dixit

14. **Holistic Development And Sensitizing Stake Holders** 141-147
Anamita Mitra

15. **Value Education and Skills Development in Relation to Indigenous Enterprises** 148-152
Dr. Priyanka Kumari

16. **Human Resource Development and Skilled Unemployment in India** 153-163
Dr. Akhilesh Kumar Rai

17. **विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शैक्षिक वातावरण को कैसे बेहतर बनायें?** 164-178
सिद्ध नाथ उपाध्याय

18. **मानवीय मूल्यों का व्यवसायीकरण** 179-182
डॉ0 नन्दिनी वर्मा

19. **उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में नैतिक एवं मानवीय मूल्यों की प्रासंगिकता** 183-188
डॉ0 ममता मिश्रा

20. **भारत में कौशल विकास एवं मूलपरक शिक्षा : एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य** 189-192
डॉ0 पूनम पाण्डेय

21. **शैक्षिक परिदृश्य में कलाओं के समन्वय की आवश्यकता** 193-198
डॉ0 सीमा वर्मा

22. **हिन्दी गीतिनाट्य में मूल्यों की अभिव्यक्ति** 199-204
डॉ0 शशिकला

20.

भारत में कौशल विकास एवं मूलपरक शिक्षा : एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

✦ डॉ0 पूनम पाण्डेय

✦ एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, वसन्त कन्या महाविद्यालय

भारतीय संस्कृति जितनी प्राचीन है उतनी ही वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक भी। वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन काल से ही भारत में कौशल पूर्ण मूल्य–परक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। वर्ण–व्यवस्था का सम्बन्ध मनुष्य की प्रकृति तथा उसके प्रशिक्षण से था। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था थी। जीविकोपार्जन के लिए अथवा समाज में सम्मान पाने के लिए किताबी उच्च शिक्षा प्राप्त करने की होड़ नही थी। विद्यार्थी को रुचि व योग्यता के अनुसार विषय चयन में परिवार, शिक्षक तथा समाज सभी मार्गनिर्देशन व सहयोग करते थे।

भारतीय समाज में प्राचीन काल से शिक्षा का स्वरुप अत्यन्त ज्ञानपरक, सुव्यवस्थित और सुनियोजित था, जिसमें व्यक्ति के लौकिक व पारलौकिक जीवन के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। भौतिक व आध्यात्मिक जीवन के निर्माण तथा विभिन्न उत्तरदायित्वों को निष्पन्न करने के लिए शिक्षा आवश्यक थी। शिक्षा से मनुष्य का जीवन समूह और समाज उन्नत होता है, उसकी बुद्धि और प्रज्ञा सुदृढ़ और प्रांजल होती है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य का चरित्र निर्माण है।

वर्तमान कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त करने में पूर्णरुपेण समर्थ नहीं हो पा रही है। शिक्षा प्रणाली में आयी इस विकृति को दूर करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाये जा रहे है। फिर भी यह प्रणाली न तो पूर्णरुपेण मूल्यों का संवर्द्धन कर पा रही है, न ही प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति सरलतापूर्वक अपने जीविकोपार्जन में सक्षम हो पा रहा है। ऐसे में आवश्यकता है वर्तमान शिक्षण प्रणाली पर पुर्नविचार करने की।

वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली मूल रूप से औपनिवेशिक नीतियों पर आधारित है। इसलिए यह भारतीय नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों के संवर्द्धन में असक्षम है। अतः आवश्यकता है भारतीय समाज की जरुरतों पर आधारित शिक्षा प्रणाली की। ऐसे में प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था व शिक्षा–

प्रणाली वर्तमान समय में भी उतनी ही प्रासंगिक हो सकती है जितनी प्राचीन काल में थी। आवश्यकता है इस पर पुर्नविचार करने की।

वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार वर्ण–व्यवस्था थी जो कर्मगत गुणों पर आधारित थी। प्राचीन हिन्दू शास्त्रकारों ने इस व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक संगठन को बनाये रखते हुए सामूहिक पद्धति से व्यक्ति के उन्नति की योजना प्रस्तुत की थी। कालान्तर में व्यवस्था में कठोरता आती गयी एवं इसका स्वरुप विकृत होता गया।

वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में बच्चे की प्रारम्भिक शिक्षा परिवार में होती थी। तत्पश्चात् गुरुकुल में औपचारिक शिक्षा का प्रारम्भ होता था। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का दायित्व आचार्य पर था। विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। आचार्य की साधना तथा आश्रम की सात्विकता का लाभ विद्यार्थी तथा आचार्य दोनों को ही होता था। प्राचीन कालीन शिक्षा पद्धति किताबी न होकर व्यावहारिक थी। सभी छात्रों को, चाहे वे किसी भी पारिवारिक परिवेश व आर्थिक स्तर के हो, एक साथ गुरुकुल में रहकर समान रुप से श्रम करना पड़ता था तथा उन्हें सामाजिक व व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का उद्देश्य सभ्यता व संस्कृति का हस्तान्तरण था।

वैदिक काल में शिक्षा के माध्यम से चारित्रिक शुद्धता तथा नैतिक आर्दशों के उत्थान पर विशेष बल दिया जाता था। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चर्तुवर्ग की प्राप्ति शिक्षा का उद्देश्य था। विद्यार्थी को श्रम व तप के द्वारा विद्योपार्जन करना होता था। व्याकरण, गणित, ज्योतिष, भाषा, इतिहास, धर्म, दर्शन, अर्थशास्त्र, कृषि, न्याय, तर्क, चित्र, युद्धकला जैसे विषयों के अध्ययन के साथ–साथ विद्यार्थी की रुचि एवं योग्यता के अनुसार उसे विशेष कौशलों की शिक्षा दी जाती थी जो उनके जीविकोपार्जन में सहयोगी होता था।

विद्यार्थी के स्वभाव व चारित्रिक गुणों के आधार पर सत्वगुण प्रधान विद्यार्थी को ब्राह्मण, रजोगुण प्रधान को क्षत्रिय तथा तमोगुण प्रधान को वैश्य व शुद्र वर्ण के अनुरुप शिक्षित किया जाता था।

वर्तमान भारतीय सामाजिक व्यवस्था में इस प्रकार का विभाजन असंवैधानिक है तथा सभी को समान तरह की उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ऐसा होना भी चाहिए। परन्तु इसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि प्रत्येक माता–पिता अपनी सन्तान को समाज की सर्वाधिक सम्मानपूर्ण श्रेष्ठतम पाठ्यक्रम की डिग्री दिलवाना चाहते हैं, चाहे उनमें उस पाठ्यक्रम के ज्ञान के लिए आवश्यक योग्यता हो अथवा नहीं। फलतः बहुत सारे विद्यार्थी इस संघर्ष में असफल होने पर अवसादग्रस्त हो जा रहे हैं तथा बहुत बार वे आत्महत्या तक के लिए प्रेरित हो जा रहे हैं। कुछ विद्यार्थी डिग्री प्राप्त करने में तो सफल हो जा रहे है किन्तु वास्तविक ज्ञान नहीं प्राप्त

कर पाते हैं, फलतः डिग्री की वास्तविक उपयोगिता का लाभ न तो उन्हें मिल पाता है और न ही वे समाज को अपने ज्ञान से लाभान्वित कर पाते हैं।

वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों की डिग्रियाँ सर्वसुलभ हैं, किन्तु गुण व योग्यता की परख करने का कोई निश्चित पैमाना नहीं है, अतः समाज में नैतिक मूल्यों का पतन तथा विभिन्न लोक कला कौशलों का ह्रास होता जा रहा है। वर्तमान भारतीय समाज में कौशल पूर्ण व्यावहारिक शिक्षा के स्थान पर किताबी उच्च शिक्षा प्राप्त करने की होड़ मची है। परिणामतः एक ओर तो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता घटती जा रही है और उसके साथ ही रोजगार के अवसर सीमित होते जा रहे है साथ ही भारतीय लोक कौशल कलायें विलुप्त होती जा रही है।

प्राथमिक शिक्षा के पश्चात् ही योग्यता व गुणों के आधार पर विद्यार्थी को पाठ्यक्रम चयन में शिक्षा के माध्यम से सहयोग किया जाय तथा उन्हें विभिन्न लोक कला कौशलों की वर्तमान आवश्यकता के अनुरुप व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाय, जिससे उन्हें अपने जीविकोपार्जन में सहायता मिले तथा वे अपने भविष्य के साथ–साथ सामाजिक उत्थान व सामाजिक कर्त्तव्यों के निर्वहन में सहायता दे सकें। समाज की युवा पीढ़ी को अवसाद ग्रस्त होने से रोका जा सकें। साथ ही प्राचीन भारतीय विलुप्त होती लोक कला कौशलों को पुर्नजीवित कर बचाया जा सकें। भारतीय संस्कृति के वैभव को पुनः स्थापित किया जा सकें।

भारतीय संस्कृति अपनी विविध शिल्प कला एवं अद्भुत शिल्पकारों के कौशल से सदैव ही दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। प्राचीन भारत के विभिन्न नगर अपनी भिन्न–भिन्न शिल्प कलाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, जैसे– लखनऊ की चिनकारी, बस्तर की बस्तर कला, टेराकेटा, आभूषण, बाँस से बनी वस्तु, मीनाकारी, चन्देरी साड़ी, कलमकारी साड़ी, बनारसी साड़ी, अलीगढ़ी ताले, फिरोजाबादी चूड़ियाँ, बंगाल की सिल्क व मलमल, राजस्थानी बन्धेज, गुजरात की गुर्जरी आदि अनगिनत शिल्पकलायें विश्वविख्यात, रही हैं किन्तु आज विलुप्त होने के कगार पर हैं। मुख्य कारण यह है कि इन शिल्पकारों को आज समाज में न तो उचित सम्मान मिल रहा है, न ही जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त धन। हस्तशिल्प से तैयार सामग्री में मशीनों से तैयार सामग्री की अपेक्षा ज्यादा श्रम व समय लगता है, अतः उनका मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक होता है। वर्तमान भारत भले विदेशी दासता से राजनैतिक रुप से स्वतन्त्र हो चुका हैं, किन्तु वैचारिक रुप से वह आज की विदेशी कम्पनियों का गुलाम हैं। विदेशी सामानों को खरीदना हमारी उच्च सामाजिक–आर्थिक स्तर का प्रतीक बन गया हैं, किन्तु हम अपने कलाकारों तथा उनकी कृतियों को सम्मान देना भूलते जा रहे हैं।

यद्यपि हमारे वर्तमान सरकार के द्वारा 15 जुलाई, 2015 को 'कौशल– भारत– कुशल–भारत कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया है जिसका लक्ष्य 2022 ई० तक भारतवर्ष की 40 करोड़ जनसंख्या को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करवाना है ताकि भारतवर्ष में बढ़ती हुयी बेरोजगारी की समस्या पर नियन्त्रण पाया जा सकें ताकि स्वावलम्बी तथा सुदृढ़ भारत का निर्माण किया जा सके।

अतः आवश्यकता है वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली के पुर्नमूल्यांकन कीं। भारतीय समाज की मानसिकता को बदलने की हमारे देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करना सर्वसुलभ हैं, होना भी चाहिए। किन्तु यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जिस डिग्री को प्राप्त करने के लिए हमारा बच्चा तत्पर है क्या वह उसकी रुचि और योग्यता के अनुरुप है? हमें उन विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए जो प्रारम्भिक शिक्षा के पश्चात् व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए समाज के विकास में योगदान देते है अर्थात् उच्च शिक्षा सर्वसुलभ होनी चाहिए किन्तु योग्यता एवं अभिरुचि के आधार पर। जब हम योग्यता व रुचि के आधार पर श्रम व अधिकारों का बँटवारा करेंगे तभी हम स्वस्थ व विकासशील समाज का निर्माण कर पायेंगे। युवाओं को अवसाद ग्रस्त होने से बचा पायेंगे तथा उनके सुनहरे भविष्य के निर्माण में सहायक होंगे। स्वस्थ मस्तिष्क से ही हम स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकेंगे साथ ही मूल्यों का संवर्द्धन भी। अतः आज जरुरत है वर्ण व्यवस्था के प्रासंगिकता को समझने की। ताकि वर्तमान भारतीय समाज के विघटन को रोका जा सके। भारत की विलुप्त हो रही लोक–कला कौशल को पुर्नजीवित कर सामाजिक व आर्थिक सुदृढ़ता तथा समरसता को बढ़ावा दिया जा सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ : –

1. धर्मशास्त्र का इतिहास (प्रथम भाग)–डॉ० पाण्डुरंग वामन काणे (अनुवादक)– अर्जुन चौबे कश्यप–उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, तृतीय संस्करण–1980
2. प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था – मनोरमा जौहरी – भारतीय विद्या प्रकाशन, वाराणसी –1969
3. Skill India-Kaushal Bharat Kushal Bharat-http://www.skillindia.gov.in.
4. प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास–डॉ० जयशंकर मिश्र, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, एकादश संस्करण–2012.
5. तुलनात्मक शिक्षा – डॉ० सरयू प्रसाद चौबे, आगरा, चतुर्थ संस्करण–1988.
6. प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास–डॉ० श्री कृष्ण ओझा, रिसर्च पब्लिकेशन्स इन सोशल साइन्सेज, पिदपी–1982.
7. आधुनिक भारतीय शिक्षा और उसकी समस्यायें–सुरेश भटनागर, इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ–सप्तम संस्करण–1991.

★

The Indian Renaissance and Swami Vivekananda

Editor :
Dr. Niharika Lal

The Indian Renaissance and Swami Vivekananda

Patron

Prof. Rachna Srivastava

Principal, Vasant Kanya Mahavidyalaya

Editor

Dr. Niharika Lal

2022

Kala Prakashan

B. 33/33 A-1, New Saket Colony,

B.H.U. Varanasi-221005

Publishers:
Kala Prakashan
B. 33/33 A-1, New Saket Colony,
B.H.U. Varanasi-5
Phone: 0542- 2310682
E-mail : kalaprakashanvns@yahoo.in

© Principal, V.K.M., Kamachha

First Edition: 2022
ISBN: 978-93-87199-44-6
Price: Rs : 1100.00 /-

Composed at:
Kala Computer Media
B. 33/33 A-1, New Saket Colony,
B.H.U. Varanasi-5
Phone: 0542- 2310682

Printed at:
Mahavir Press
Bhelupur, Varanasi

23 स्वामी विवेकानन्द का समाजवादी चिंतन एवं नव्य वेदान्त समाजवाद 187-190
डॉ. कल्पना आनन्द

24 युगद्रष्टा स्वामी विवेकानन्द 191-198
डॉ. दीप्ति सिंह

25 स्वामी विवेकानन्द : एक अज्ञात कवि 199-203
डॉ. सपना भूषण

26 स्वामी विवेकानन्द जी की धार्मिक दृष्टि 204-209
डॉ0 ममता मिश्रा

27 समकालीन समय में राष्ट्रवादी विमर्श एवं विवेकानन्द के विचार 210-213
डॉ0 शशिकेश कुमार गोंड

28 स्वामी विवेकानन्द की दृष्टि में मानव-एकता का आदर्श 214-224
अश्विनी कुमार

29 स्वामी विवेकानन्द के विचारों की वर्तमान में प्रासंगिकता 225-235
त्रिभुवन मिश्र, अमित कुमार

30 स्वामी विवेकानन्द जी के दर्शन की धर्म विषयक अवधारणा 236-246
डॉ0 विभा रानी

31 भारत का नवनिर्माण : स्वामी विवेकानंद की दृष्टि 247-254
डॉ0 आशा यादव

32 स्वामी विवेकानंद की शिक्षा और अनहद नाद 255-262
डॉ0 मीनू पाठक

33 ऊर्जा स्त्रोत विवेकानन्द 263-269
डॉ0 पूनम पाण्डेय

34 स्वामी विवेकानन्द के आध्यात्मिक अनुगूँज में सांगीतिक स्वर 270-276
डॉ0 सीमा वर्मा

★

33

ऊर्जा स्रोत विवेकानन्द

✦ डॉ0 पूनम पाण्डेय

उठो जागो स्वप्न से दो तोड़ बन्धन, चल निर्भय
यह रहस्य, कुहेलिका, छाया डरा सकती न मुझको,
क्योंकि मैं ही सत्य जानो तुम सदा यह।

भारतवर्ष के वीर ऋषि स्वामी विवेकानन्द के उपुर्यक्त वाक्य सदा ही युवा चेतना जागृत करने में प्रेरणादायी रहे हैं और रहेंगे। शक्तिशाली, तेजस्वी तथा सर्वतोन्मुखी व्यक्तित्व के धनी विवेकानन्द के मन में मनुष्य के कष्टों का निवारण करने के लिए ज्वलन्त उत्साह था। विश्व उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानता है जिसकी बुद्धि प्रकाण्ड थी और जिसने अपनी प्रचण्ड इच्छाशक्ति को भारत के पुनरूद्धार के कार्य में लगा दिया था। वे भिक्षु समाज को संजीवित करने वाले तथा दलितों के लिए संघर्ष करने वाले महान योद्धा थे।

वे राष्ट्रीय जनजागरण के पूर्व सचेतक थे। भारत को एक नयी राह देने में सर्वप्रथम वे धार्मिक एवं सामाजिक एकता के प्रति सचेष्ठ हुए। उन्नीसवीं शताब्दी समाप्त होते-होते बहुत से प्रबुद्ध देश भक्त यह मानने लगे थे कि सामाजिक प्रगति के साधन के रूप में धर्म की उपयोगिता खत्म हो चुकी है। परन्तु स्वामी विवेकानन्द की मान्यता थी कि धर्म भारत की नियति के साथ जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार भारत में स्थायी राष्ट्रवाद का निर्माण धर्म के आधार पर ही किया जा सकता है, किन्तु उस पर पन्थवादी संकीर्णता अथवा साम्प्रदायिकता का आरोप नहीं लगाया जा सकता। भारत का तत्त्व धर्म है। विवेकानन्द ने राष्ट्रवाद के धार्मिक सिद्धान्त का प्रतिपादन इसलिए किया, क्योंकि वे समझते थे कि आगे चलकर धर्म ही भारत के राष्ट्रीय जीवन का मेरूदण्ड बनेगा। उनकी मान्यता थी कि भारत में किसी प्रकार का सुधार या उन्नति की चेष्टा करने से पहले आवश्यक है कि उसमें आध्यात्मिक विचारों की बाढ़ ला दी जाय। इसलिए उनके द्वारा दी गयी परिभाषा के अनुसार धर्म वह नैतिक बल है, जो व्यक्ति व राष्ट्र को शक्ति प्रदान करता है।

वह हिन्दू धर्म के बहुत बड़े समर्थक थे, कारण कि उनके अनुसार हिन्दू धर्म ही नैतिक मानववाद व आध्यात्मिक आदर्शवाद है। उनकी दृष्टि में हिन्दू धर्म उन दुरूह पन्थों,

✦ असोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, वसन्त कन्या महाविद्यालय।

कर्मकाण्डी अन्धविश्वासों, परम्परागत मतवादों और आदिम कर्मकाण्ड का पुंज नहीं था बल्कि हिन्दू धर्म मानव जाति को उबारने के लिए नैतिक तथा आध्यात्मिक विधानों और आदि काल से निरपेक्ष नियमों की संहिता था। इसलिए उन्होंने धर्म के प्रचार के लिए हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा कर समूचे देश का भ्रमण किया। उन्होंने न केवल अपने देश, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भी अनेकों बार विश्व धर्मों की संसद में हिन्दू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेकर धार्मिक सहिष्णुता की विचारधारा को बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से प्रसारित करने का कार्य किया।

स्वामी विवेकानन्द ने राष्ट्रीय जन-जागृति के अगले चरण में भारतीय समाज की सभी प्रमुख समस्याओं की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट किया जिसमें निरक्षरता का अन्त, ग्रमीण पुनर्रचना, आर्थिक उत्थान, अस्पृश्यता निवारण तथा शिक्षा का प्रसार मुख्य था। उन्होंने बड़ी निर्भीकता से समाज में आध्यात्मिक समता के आदर्श का पक्ष-पोषण किया। उनके शब्दों में 'यदि प्रकृति में असमानता है तो भी सबके लिए समान अवसर होना चाहिए।' उन्हें प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था में साकार हुए सामाजिक सामन्जस्य एवं समन्वय के आदर्श से प्रेरणा मिली थी। इसलिए उनकी हार्दिक इच्छा थी कि जाति प्रथा को यथावत बनाया जाय। उनके अनुसार तथ्य की बात यह नहीं है कि समाज पर नीरस एकरूपता की कोई व्यवस्था थोप दी जाय। आवश्यकता इस बात की है कि हर व्यक्ति को सच्चे ब्राह्मण का पद प्राप्त करने में सहायता दी जाय। वे वर्गगत तथा जातिगत श्रेष्ठता के विचारों तथा अत्याचार का उन्मूलन करना चाहते थे, जिन्होंने हिन्दू समाज को शिथिल, स्तरबद्ध तथा विघटित कर दिया है। उन्होंने अस्पृश्यता की बुराईयों की कटु भर्त्सना की और पाकशाला तथा पाखण्डों पर आधारित धर्म-कर्म की निन्दा की। एक सिद्धान्तकार के नाते उन्होंने वर्ण-विभाजन को बुद्धि संगत सिद्ध करने का प्रयास किया। वे जाति का उन्मूलन नहीं करना चाहते थे, बल्कि दलित, शोषित एवं पीड़ित जनता का उद्धार चाहते थे।

विवेकानन्द जी संयम व दूरदर्शिता के प्रतीक थे। वे स्वतन्त्र चिन्तन को व्यक्ति और समाज की उन्नति की आवश्यक शर्त मानते थे। जात-पात, सम्प्रदायवाद, छूआछूत, अस्पृश्यता, रूढ़िवादिता के विरोधी थे। गरीबों व दलितों के लिए उनके मन में असीम सहानुभूति थी।

दलित, शोषित, गरीब एवं असहाय लोगों की दशा देखकर स्वामी विवेकानन्द का हृदय रो पड़ा था और उन्होंने इसका उद्‌गार इन शब्दों में व्यक्त किया है-

"Alas! Nobody in our country thinks of low, the poor and the miserable! These are the backbone of the nation, whose labour produces our food. Where is the man in our country who sympathises with them! Who shares in their joys and sorrows! Is there any fellow, feelings or

sense of Dharma left in the country? Unless they are raised, this motherland of ours will never awake! In the whole history of the world have you ever seen a country rise without a free circulation of the national blood throughout its entire body! If one limb is paralysed, then even with other limbs whole not much can be done with that body- know this for certain."[1] आगे उन्हीं के शब्दों में- 'Remember that the nation lives in the cottage.....the fate of the nation.....depends upon the.....condition of the masses. Can you raise them? Can you give them back their lost individuality without making them lose their innate spiritual nature?'[2] पुनः वह कहते हैं- 'I consider that the great national sin is the neglect of the masses and that is one of the causes of our downfall. No amount of politics would be of any avail until masses in India are once more well educated, well fed and well cared for. They pay our education, they build our temples, but in return they get kicks. If we want to regenerate India, we must work for them'[3] पुनः स्वामी जी कहते हैं- "Our mission is for the destitute, the poor and the illiterate peasantry and laboring classes. And if after every thing has been done for them first, and there is spare, then for gentry. Those peasants and labouring people will be won over by love. One must raise oneself by one's own exertions. This holds good in all spheres"[4].

शिक्षा की आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता की तरफ जन-मानस का ध्यान आकृष्ट करते हुए स्वामी जी के विचार कुछ अधिक ही समीचीन लगते हैं-

"Education can bring faith in one's own self and the education can solve their problems .....Let India arise, let her arise.....out of peasants cottage, grasping the plough, out of huts of fisherman, cobbler and sweeper. Let her spring from grocer's shop. Let her emanate from the factory, from mart and from markets, let her emerge from groves, forest, hills, mountains, rivers etc. The common people have suffered and been oppressed for thousands of years. All the wealth of the world can not help one little Indian village if the people are not taught to help themselves ..... Educate the people, so that they may learn to be self reliant"[5].

दर्शन के क्षेत्र में स्वामी विवेकानन्द का अपूर्व योगदान है। उनके दर्शन का सार ब्रह्म अथवा सच्चिदानन्द की धारणा है। उन पर शंकराचार्य के अद्वैत वेदान्त का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। वे वेदान्त को ही विश्व तथा विश्वधर्म मानते थे। उनकी मान्यता थी कि वेदान्त का मूल मन्त्र विशुद्ध एकत्व न होकर बहुत्व में एकत्व है। उनका समस्त दार्शनिक प्रमाण

अद्वैत वेदान्त को बुद्धिगम्य, ठोस, वैज्ञानिक, व्यावहारिक और प्रेरणादायक रूप में प्रस्तुत करने की ओर था। वे कहा करते थे कि वेदान्त का ज्ञान दीर्घ काल से गुफाओं, कंदराओं एवं वनों में छिपा रहा। यह भार मेरे ऊपर पड़ा है कि मैं उसको निर्वासन से निकालूँ और जनकल्याण के लिए पारिवारिक और सामाजिक जीवन में पहुँचाऊँ।

विवेकानन्द ने वेदान्त के आधार पर ही निर्भरता व एकत्व का सन्देश दिया। उन्होंने बार-बार दोहराया कि आत्मा ही परम सत् है और इसीलिए वह सभी प्रकार के सांसारिक प्रलोभनों से दूर है। उनके विचार से शक्ति के सन्देश का ओजपूर्ण समर्थन करना राष्ट्रीय पुनर्निमाण का सबसे अच्छा मार्ग था। इसीलिए उन्होंने कहा- हमारे लिए यह समय रोने के लिए नहीं है। हम बहुत रो चुके हैं। यह समय कोमल बनने का नहीं, कोमलता हमारे जीवन में इतने लम्बे समय से चली आ रही है कि हम रूई के ढेर सदृश हो गये हैं- आज हमारे देश को जिन चीजों की आवश्यकता है वे हैं लोहे की मांस-पेशियाँ, इस्पात की तन्त्रिकाएँ, प्रचण्ड संकल्प, जिनका कोई प्रतिरोध न कर सके और अपने में विश्वास, विश्वास और विश्वास।' राष्ट्र चूंकि व्यक्तियों से बनता है, इसलिए उनका अनुरोध था कि राष्ट्र की सार्वभौम प्रगति के लिए हर व्यक्ति को अपने अहं का देश और राष्ट्र की आत्मा के साथ तादात्म्य करना होगा। ऐसा त्याग और विश्वास को भारतीय राष्ट्र के पुनरुद्धार का तात्विक आधार बनाना होगा। राष्ट्र के नव-निर्माण में उन्होंने नवयुवकों को आगे आने का आह्वान किया और कहा कि संसार में डूबकर कर्म का रहस्य सीखो और संसार यन्त्र के पहियों से भागो मत।

वे नवभारत के वह ऊर्जा स्रोत हैं, जिनके प्रति वर्तमान पीढ़ी व भावी पीढ़ी दोनों ही सदैव ऋणी रहेगी। वे अपने व्यक्तित्व तथा कृतित्व से गहन आध्यात्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक विचारों की छाप छोड़ने वाले, सामाजिक जड़ता व धार्मिक मूढ़ता को दूर करने का प्रयास करने वाले अद्वितीय विभूति थे।

उन्होंने गरजते हुए शब्दों में कहा था, शक्ति जीवन है, दौर्बल्य मृत्यु है। मैं जानता हूँ कि केवल सत्य जीवन देता है, और सत् की ओर अग्रसर होने के अतिरिक्त अन्य कोई बात हमें शक्तिशाली नहीं बना सकती, और कोई व्यक्ति तब तक सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वह बलवान नहीं बनता। शक्ति वह औषधि है जिसका सेवन धनिकों के अत्याचारों से पीड़ित दरिद्रों को करना चाहिए।.... अद्वैतवाद के दर्शन को छोड़कर अन्य कोई वस्तु हमें शक्ति नहीं दे सकती। अन्य कोई वस्तु हमें उतना नैतिक नहीं बना सकती जितना अद्वैतवाद का विचार। उनका यह वीरता-पूर्ण सन्देश सदैव ही मानवता के उत्थान के लिए प्रेरणादायक है।

उन्होंने युवाओं को शारीरिक दुर्बलता, आलस्य, भीरुता जैसी भावनाओं से दूर रहने को कहा। युवाओं के लिए उनके प्रमुख संदेश थे कि जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और

अज्ञानी हैं तब तक मैं प्रत्येक व्यक्ति को देश द्रोही मानता हूँ जो उन्हीं के खर्चों पर शिक्षा ग्रहण करता है, परन्तु उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करता।[6]

वे महान देशभक्त थे और मातृभूमि के लिए उनके मन में ज्वलन्त प्रेम था। उनकी आत्मा सदैव स्वतंत्रता के लिए लालायित रहती थी, चाहे आध्यात्मिक स्वतंत्रता की बात हो या राजनैतिक स्वतंत्रता की। अपनी कविता 'सन्यासी का गीत' में उन्होंने उन्मुक्त स्वर में स्वतंत्रता का गुणगान किया है-

अपनी बेड़ियों को तोड़ डाल।
उन बेड़ियों को जिन्होंने तुझे बाँध कर डाल रखा है।
वे दीप्तिमान सोने की हों, अथवा काली निम्नकोटि की धातु की,
प्रेम, घृणा, शुभ, अशुभ - द्वैधता के सभी जंजालों को तोड़ डाल।
तू समझ ले कि दास दास है, उसे प्रेमपूर्वक पुचकारा जाय,
अथवा कोड़ों से पीटा जाय, वह स्वतंत्र नहीं है,

तू कहीं ढूँढ रहा है? तुझे वह स्वतंत्रता न यह लोग दे सकता है और न वह,
व्यर्थ में तू ढूंढ़ रहा है ग्रन्थों और मन्दिरों में।
तेरा अपना ही तो हाथ है जो उस रज्जु को पकड़े हुए है,
जो तुझे घसीट रहा है।
इसलिए तू विलाप करना छोड़ दे।
रज्जु को हाथ से जाने दे हे वीर सन्यासी और बोल- 'ओम तत् सत् ओम।"[7]

वे स्वतंत्रता के प्रकाश को वृद्धि की एकमात्र शर्त मानते थे। उनके अनुसार शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होना तथा दूसरों को उसकी ओर अग्रसर होने में सहायता देना मनुष्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जो सामाजिक नियम इस स्वतंत्रता के विकास में बाधा डालते हैं वे हानिकारक हैं, और उन्हें शीघ्र ही नष्ट करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए।[8]

उनका अनुरोध था कि राष्ट्र व्यक्तियों से ही बनता है। अतः सब व्यक्तियों को अपने में पुरुषत्व, मानव गरिमा, सम्मान की भावना आदि श्रेष्ठ गुणों का विकास करना चाहिए। किन्तु इन वैयक्तिक गुणों की पूर्ति अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम की भावनात्मक भावना से होनी चाहिए। निःस्वार्थ सेवा की गम्भीर भावना के बिना राष्ट्रीय एकता व मातृत्व की बात करना कोरी बकवास है।[9]

स्वामी विवेकानन्द ने मानव जीवन के हर क्षेत्र में एक अद्भुत चेतना के बीज को अंकुरित किया। आज के वर्तमान परिवेश में जहाँ विज्ञान और तकनीकी ने मानवीय सुख-सुविधा के परिप्रेक्ष्य में आनन्द मन की अवधारणा को भी मात दे दिया वहीं उसके द्वारा

आणविक अस्त्र-शस्त्रों के विकास के फलस्वरूप मानव संस्कृति के विनाश की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। विज्ञान और तकनीकी का दिया हुआ यह भौतिक स्वर्ग उसी से उत्पन्न मिसाइलों की महाज्वाला में निमिष मात्र में ही भस्म होकर राख हो जायगा। आज विश्व विध्वंस की कगार पर बैठा है। महाविनाश की विभीषिका मानव मन के अन्तस में इस ढंग से प्रवेश कर गयी है कि आज समस्त मानव जाति एक विचित्र भय, तनाव, कुण्ठा, संशय, संत्रास व अनास्था का जीवन जी रहा है। भौतिक सुख सुविधाओं की होड़ में मानव अपने उदात्त मूल्यों को भूलकर अधिकाधिक धन संचय, अनैतिकता, भ्रष्टाचार एवं सतही जीवन जीने में आकण्ठ मग्न है।

उन्होंने अपने पत्रों और भाषणों के माध्यम से जो ऊर्जा संचारित की उसने भारत को विश्व के महान शिखर तक पहुँचा दिया। उनका मानना था कि जहाँ जो कुछ अच्छा मिले, उसे सीखना चाहिए। स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। आत्मविश्वास से ही व्यक्ति में कुछ करने की क्षमता विकसित होती है। उन्होंने केवल अधिकारों के लिए संघर्ष करने की अपेक्षा कर्तव्यों को विशेष महत्व दिया।[10] उन्होंने धर्म व संस्कृति की दुहाई देकर भारतीयों में अपने गौरवमय अतीत के प्रति एक प्यार जगा दिया तथा उनमें स्वाभिमान की अग्नि प्रज्ज्वलित कर दी। विश्व के सम्मुख भारतीय संस्कृति व सभ्यता की श्रेष्ठता और सर्वोपरिता की साहसी घोषणा करके उन हिन्दुओं में नवीन प्रेरणा व शक्ति का संचार किया जो यूरोपीय संस्कृति एवं सभ्यता के सम्मुख अपने को हेय समझते थे। इससे भारतीयों के मन में आत्मगौरव का एक सशक्त भाव उदित हुआ, जिससे राष्ट्रीय पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त हुआ।

आज जब कि विज्ञान हमारी दार्शनिक व धार्मिक मान्यताओं पर लगातार कुठाराघात कर रहा है, पृथकतावादी व अलगाववादी ताकतें देश की एकता तथा अखण्डता पर लगातार प्रहार कर रही हैं, राष्ट्रीय चरित्र को घुन लग गया है, लोक जीवन की मर्यादा व उसके उदात्त मूल्य पंगु हो गये हैं, भ्रष्टाचार व अनैतिकता लोकजीवन के व्यावहारिक अंग बन गये हैं, आवश्यकता है उसी विवेकानन्द जैसे राष्ट्रीय चेतना के अग्रज व सजग प्रहरी की जिसे इन सब का आभास एक शताब्दी पूर्व ही हो गया था। उसी समय उन्होंने पूर्व को पश्चिमी वैज्ञानिक संस्कृति के प्रति सचेष्ट किया था तथा भारत में व्याप्त कुरीतियों के प्रति अपना दिव्य सन्देश दिया था। उनके शब्दों में- "पश्चिम की बुद्धिवादिता एवं पूरब की सहृदयता एवं करुणा के समन्वय से ही उच्च दर्शन बन सकता है, जिसके फलस्वरूप विज्ञान का धर्म से मिलन होगा, काव्य एवं दर्शन की मैत्री होगी, यही हमारे भविष्य का धर्म होगा और यदि वह सम्भव हो सका तो सर्वकालिक व सार्वजनिक होगा।"[11] आज के परिवेश में उनके द्वारा उठाये गये प्रश्न अत्यन्त सजीव हो गये हैं । आज आवश्यकता है स्वामी विवेकानन्द द्वारा बताये गये रास्तों पर लगातार अग्रसर होने की ताकि उनके द्वारा छोड़े गये अधूरे कार्यों को पूरा किया जा सके। भारतीय संस्कृति एवं उसके शाश्वत मूल्यों की रक्षा इसी में निहित है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. भारतीय समाज में दलित एवं कमजोर वर्ग की स्थिति, पृ0 2-3, झिनकू यादव द्वारा सम्पादित, वाराणसी, 1993.
2. Letters of Swami Vivekanand, 64.
3. Complete Works of Swami Vivekanand, V/ 222-23.
4. Letters of Swami Vivekanand, 412.
5. Swami Vivekanand & My India, The India Eternal, p. 60, Ramakrishna Mission, Institute of Culture, Calcutta, 1997, p. 60.
6. The Complete Works of Swami Vivekanand, Vol-I, III & IV, Advaita Ashram, Almora, 1922.
7. Life & Philosophy of Swami Vivekanand, G.S. Banhatti, Atlantic Publisher, New Delhi, 1989.
8. Karma Yoga, Swami Vivekanand, Advaita Ashram, 2010
9. Vivekanand World Teacher, Swami Adiswaranama, Rupa Publication, New Delhi, 2007
10. प्रबुद्ध भारत के प्रति सुभाषित संकलन, विवेकानन्द, साहित्य जन्मसती संस्करण, खण्ड 10
11. Swami Vivekanand, My India, The India Eternal, Ramkrishna Mission, Institute of Culture, Calcutta, 1997.

★